



दिनांक	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम को तानील मे जारी हुए
21.4.23	<p>वाद / प्रार्थनापत्र वाद जाँच प्रस्तुत हुआ दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को सम्मन नोटिस जारी किये जावें । पत्रावली दिनांक 16.5.23 को पेश हो ।</p> <p> उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलेक्टर माण्डल</p> <p>31.5.23 पत्रावली महाराष्ट्र राहत कैंप एवं प्रशासन गाँवों के संग अभियान 2023 ग्राम पंचायत चस्केड मे पेश हुई, विपक्षीगण के सम्मन वाद शामिल होकर प्राप्त हुए जिसे शामिल पत्रावली किये गये। प्रार्थी का प्रारूप स्वीकार किया जाकर निर्णय पृष्ठक से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो ।</p> <p> हुकमीचन्द राहलानिया उपखण्ड अधिकारी माण्डल प्रशासन गाँवों के संग अभियान 2023</p>	



न्यायालय उपखण्ड अधिकारी माण्डल जिला भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी-हुकमीचन्द रोहलानिया, आर.ए.एस.

मुकदमा संख्या - 77/23 प्रा०पत्र

1- श्री महेन्द्र कुमार सो/श्री मिश्री लाल मीणा निवासी-सुगापनगर जीणगावा मंदिर के पास भीलवाडा तहसील-भीलवाडा रा०

-प्रार्थी

बनाम

1- श्री उत्तमलाल घोंगी सो/श्री शंकरलाल घोसी निवासी-मेजा तहसील-माण्डल (नगर) (मिठांकि 90 पश्चात)

-विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956

दिनांक- 31.05.23

::आदेश::

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम मेजा पटवार हल्का मेजा तहसील माण्डल में उसके खाते /संयुक्त खाते की आराजी न० पुख्ता जानकारी प्रकृति कुल किता 09 रकबा 3.3449 हेक्टेयर स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी मुतादायिवा के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। जिसमें प्रार्थी अपने खाते/संयुक्त खाते की भूमि की पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराये जावें।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 21-4-23 को पंजीबद्ध किया जाकर प्रकरण को अवलोकनार्थ से यह बात सिद्ध है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी एवं कब्जे काश्त काश्त की होने से पत्थरगढी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकारी निर्धारित किये जाते है। अतः इन तथ्यों को देखते हुए नैसर्गिक की न्यायिक सिद्धान्त के आधार पत्र स्वीकार योग्य है।

::आदेश::

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम मेजा पटवार हल्का मेजा तहसील माण्डल में उसके खाते/संयुक्त खाते की आराजी न० 2528, 2532, 2533, 2526, 2517, 2527, 2518, 2519, 2520 कुल किता 09 रकबा 3.3449 हेक्टेयर भूमि के चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगढी किये जाने का आदेश दिया जाता है। पत्थरगढी किये जाने हेतु भू-अभिलेख निरीक्षक मेजा को 1400/- रुपये/- कमिश्नर फीस पर कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकरान् की मौजूदगी में मौके व कब्जे की यथास्थिति को बनाये रखते हुए मुस्तकील विन्दु को आधार मानकर पत्थरगढी की जावें। फसल खडी होने पर पत्थरगढी नहीं की जावें।

हुकमीचन्द रोहलानिया  
उपखण्ड अधिकारी माण्डल  
पशासन गाँवों के संग अभियान 2023

प्रतिलिपि:- तहसीलदार माण्डल को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार पत्थरगढी की जाकर पालना रिपोर्ट 07 दिवस में प्रस्तुत करें।

हुकमीचन्द रोहलानिया  
उपखण्ड अधिकारी माण्डल  
पशासन गाँवों के संग अभियान 2023